राज्य स्कीम

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011– 34

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 21.06.17

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 तथा अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹45,00,000/–(पैतालीस लाख रू0) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–30 दिनांक–15.06.2017 के द्वारा स्वीकृत कुल ₹50,00,000/–(पचास लाख रू0) मात्र में से संलग्न विवरणी–1 के अनुसार ₹45,00,000/–(पैतालीस लाख रू0) मात्र को राशि जिलों को आवंटित किया जाता है।

2– आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मद में मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण– उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–0101–निदेशन और प्रशासन–मांग सं0–44–विषय शीर्ष–0101.26.01–विज्ञापन और प्रकाशन" विपत्र कोड 44–2225010010101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3– आंवटित राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 तथा अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिग लगाने, नुक्कड नाटकों, कार्यशाला का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि पर व्यय किया जाएगा। इस आंवटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–98 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे ।

5– इस योजना के तहत् वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।

6– इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होगे।

7– इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–03–2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

8– आंवटित राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है ।

9– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011– 34 दिनांक– 21.06.17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/प्रशाखा पदाधिकारी–3डी0, 4डी0, 5डी0 एवं 6डी0 /सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011– 34 दिनांक– 21.06.17

प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011– 34 दिनांक– 21.06.17

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेव साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

बिहार सरकार

<u>अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।</u>

<u>विवरणी–</u>

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 तथा अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹45,50,000/–(पैंतालीस लाख पचास हजार रू0) मात्र का आवंटन।

राशि ₹ लाख

क0	जिला का नाम	कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	2.50
2	नालंदा	1.00
3	रोहतास	1.00
4	भभुआ	1.00
5	भोजपुर	1.00
6	बक्सर	1.00
7	गया	2.50
8	जहानाबाद	1.00
9	अरवल	0.50
10	नवादा	1.00
11	औरंगाबाद	1.00
12	सारण	2.00
13	सिवान	1.00
14	गोपालगंज	1.00
15	मुजफ्फरपुर	2.00
16	सीतामढ़ी	1.00
17	शिवहर	0.50
18	प0 चम्पारण	1.00
19	पू0 चम्पारण	1.00
20	वैशाली	1.00
21	दरभंगा	2.00
22	मधुबनी	1.00
23	समस्तीपुर	1.00
24	सहरसा	1.00
25	सुपौल	1.00
26	मधेपुरा	1.00
27	पूर्णियां	2.00
28	अररिया	1.00
29	किशनगंज	1.00
30	कटिहार	1.00
31	भागलपुर	2.00
32	बाँका	0.50
33	मुंगेर	3.00
34	लखीसराय	0.50
35	शेखपुरा	0.50
36	जमुई	1.00
37	खगड़िया	0.50
38	बेगुसराय	1.00
	कुल योग	45.00

कुल पैंतालीस लाख रू0 मात्र

पत्रांक 34 दिनांक 21.06.17 का अनुलग्नक ।

Atrocity allotment 2016-17